संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्रांक 520 / 14–1 बिजनौर, दिनांक, अगस्त 26 –, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :– जनपद बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर–छजलैट (राज्य मार्ग संख्या–76) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में बाधक नूरपुर–छजलैट मार्ग पर स्थित 1029 बाधक वृक्षों के पातन एवं 13.61 (संशोधित 27.23) हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध मे।

संदर्भ :– **Online submission file no. FP/UP/Road/20898/2015 date 08-08-2016** एवं इस कार्यालय का पत्रांक 4023/14–1 दिनांक 01–06–2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर–छजलैट (राज्य मार्ग संख्या–76) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। उक्त मार्ग पर बाधक 1029 वृक्षों के पातन एवं 13.61 (संशोधित 27.23) हे0 संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति चाही गई है।

वन संरक्षण अधिनियिम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा–2 के अन्तर्गत 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तातरण प्रस्ताव की पुनः हार्ड कापी चार प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नही होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक–हार्ड कापी की चार प्रतियॉं।

भवदीय

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिजनौर/चॉदपुर। को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।